



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ, 1942 (श०)

संख्या- 101 राँची, सोमवार,

08 फरवरी, 2021 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(समन्वय)

अधिसूचना

05 फरवरी, 2021 ई०।

संख्या- सी०एस०-01/आर०-02/2019-158 -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान के अधीन बनी कार्यपालिका नियमावली-2000 के नियम 6(1) के अनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग की अधिसूचना संख्या-10, दिनांक 03.01.2020, अधिसूचना संख्या- 118, दिनांक 29.01.2020 एवं अधिसूचना संख्या-1283, दिनांक-05.11.2020 द्वारा आवंटित कार्यों में आंशिक संशोधन करते हुए, मुख्यमंत्री, झारखण्ड की सलाह से, झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड सरकार के मंत्री को सरकार के विभागों का कार्य निम्नलिखित रूप से आवंटित करते हैं-

क्र.	मंत्री का नाम	विभाग का नाम
1.	श्री हफीजूल हसन, मंत्री	1. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 2. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना द्वारा आवंटित सरकार के विभागों का शेष कार्य यथावत रहेंगे।

3. इसे तत्काल प्रभाव से प्रभावी समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।
